दिनांक 22.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 22/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हमीरपुर/थाना मुस्करा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 21.09.2021 को थाना मुस्करा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सड़क नहर पुलिया के पास पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हमीरपुर के थाना मुस्करा पर हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मुस्करा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–261/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुस्करा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– मनोज कुमार निवासी कबूतरा डेरा कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद देवरिया/थाना खामपार

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.09.2021 को थाना खामपार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरेराम चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खामपार पर पंजीकृत मु0अ0सं0–134/2021 धारा 323/452/504/304 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खामपार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित निवासी कोरया कटहरिया थाना खामपार जनपद देवरिया।

जनपद चित्रकूट/थाना मारकुण्डी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 07 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध बन्दूक 315 बोर, 05 जीवित कारतूस,**
- **02 अवैध बन्दूक 12 बोर, 06 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 22.09.2021 को थाना मारकुण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मारकण्डेय के जंगल से 04 शातिर अभियुक्तों 1–लाला कोल 2–देवमुनि 3–गया 4–रोहिणी उर्फ रज्जन को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 07 फोन, 02 अवैध बन्दूक 315 बोर, 05 जीवित कारतूस, 02 अवैध बन्दूक 12 बोर, 06 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त बबुली कोल गैंग के शातिर अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त लाला कोल के विरूद्ध जनपद चित्रकूट के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त देवमुनि के विरूद्ध जनपद चित्रकूट के थाना मारकुण्डी पर डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, फिरौती हेतु अपहरण, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त गया के विरूद्ध जनपद चित्रकूट के थाना मारकुण्डी पर डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग व अभियुक्त रोहिणी उर्फ रज्जन के विरूद्ध थाना मारकुण्डी पर डकैती, हत्या का प्रयास आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। दिनॉकः 17.09.2021 की रात्रि थाना मारकुण्डी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मारकुण्डी पर मु0अ0सं0–37/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मारकुण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–लाला कोल निवासी ग्राम डोडामाफी बड़ा कोलान थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट।

2–देवमुनि निवासी ग्राम डोडामाफी बड़ा कोलान थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट।

3–गया निवासी मानपुर खोह थाा भरतकूप जनपद चित्रकूट।

4–रोहिणी उर्फ रज्जन पुत्र श्याम सुन्दर निवासी लंकापुरवा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट।

<u>बरामदगी</u>

1–लूटे गये 07 फोन।

2– 02 अवैध बन्दूक 315 बोर, 05 जीवित कारतूस।

3– 02 अवैध बन्दूक 12 बोर, 06 जीवित कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली देहात

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 2.1 लाख रूपये कीमत की चोरी की 35 बैट्री**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 21.09.2021 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जौसरा मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–सुनील कुमार उर्फ प्रीतम कुमार 2–सुरेश कुमार उर्फ पांचू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 2.1 लाख रूपये कीमत की चोरी की 35 बैट्री, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19/20.09.2021 की रात्रि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 172/2021 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुनील कुमार उर्फ प्रीतम कुमार निवासी बेदौली कला थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

2–सुरेश कुमार उर्फ पांचू निवासी कचरहवा पोखरा थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 2.1 लाख रूपये कीमत की चोरी की 35 बैट्री।

2–01 चार पहिया वाहन।

जनपद अमेठी/ थाना रामगंज

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.09.2021 को थाना रामगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोनारी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों 1–गोलू उर्फ हर्षवर्धन 2–संदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ व अमेठी क्षेत्र से मोटर साइकिल चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना रामगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोलू उर्फ हर्षवर्धन निवासी किठावर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, हालपता ओमनगर थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर।

2–संदीप निवासी पूरे काशीराम थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

जनपद बरेली/थाना फरीदपुर

- **06 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 480 ग्राम अवैध स्मैक**
- **07 मोबाइल फोन**
- **23 हजार 730 रूपये नगद**
- **02 चार पहिया वाहन**
- **04 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 22.09.2021 को थाना फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम रहपुरा से 06 मादक पदार्थ तस्करों 1–वहार अली 2–अतहर अली 3–नबाज

अली 4–मुर्शीद अली 5–रहमत अली 6–कासिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 480 ग्राम अवैध स्मैक, 07 मोबाइल फोन, 23 हजार 730 रूपये नगद, 02 चार पहिया वाहन व 04 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना फरीदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–वहार अली निवासी मोहल्ला ऊंचा कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

2–अतहर अली निवासी ग्राम पढेरा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

3–नबाज अली निवासी मोहल्ला ऊंचा कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

4–मुर्शीद अली निवासी ग्राम पढेरा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

5–रहमत अली ग्राम बेहरा थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

6–कासिम निवासी मोहल्ला ऊंचा कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 480 ग्राम अवैध स्मैक।

2– 07 मोबाइल फोन।

3– 23 हजार 730 रूपये नगद।

4– 02 चार पहिया वाहन।

5– 04 दो पहिया वाहन।

<u>जनपद आगरा/थाना हरीपर्वत</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कुन्टल 20 किग्रा अवैध गांजा**
- **01 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर की) बरामद**

दिनांक 22.09.2021 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना हरीपर्वत क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–अतवीर 2–संदीप 3–देवसिंह 4–संतोष को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 कुन्टल 20 किग्रा अवैध गांजा, 01 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर की) बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अतवीर निवासी हालपता–ए शर्मा कालोनी फेस–2 बुद्धबिहार ब्लाक सी सुल्तानपुरी बेस्ट देहली व मूलपता–गॉव मानपुर भोजपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

2–संदीप निवासी कौलारा कला थाना डौकी जनपद आगरा।

3–देवसिंह निवासी विजय विहार फेस–2 थाना रोहिणी दिल्ली व मूल पता गढ़ी शिशुपाल कोलारा कला थाना डौकी जनपद आगरा।

4–संतोष निवासी मणी थाना डौकी जनपद आगरा।

बरामदगी

1–01 कुन्टल 20 किग्रा अवैध गांजा।

2– 01 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर की)।

➢ **जनपद चित्रकूट/थाना रैपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 पॉक्सो एक्ट जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त राजा उर्फ राजबहादुर को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➢ **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना डिंबाई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे, अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिंबाई पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201/394/411 भादवि में अभियुक्त राजू उर्फ बिशाल उर्फ कलुआ को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➢ **<u>जनपद सीतापुर/थाना सिधौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे(पॉक्सो कोर्ट) कोर्ट संख्याः 14, जनपद सीतापुर द्वारा थाना सिधौली पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376(1)/506 भादवि में अभियुक्त सलीम को 10 के कठोर कारावास की सजा व 32 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

———